न्यायालय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।

आपराधिक जेल पुनरीक्षण संख्या 292 सन् 2022

जितेन्द्र पाल सिंह निगरानीकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य प्रतिवादी प्रत्युत्तरदाता

उपस्थित

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान **अधिवक्ता –श्री आदित्य प्रताप सिंह।**

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री वी.के. जेमिनी, उप महाधिवक्ता एवं ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता सुश्री मीना बिष्ट,

प्रत्युत्तरदाता संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता– श्री हर्षपाल सेखों,

माननीय रवीन्द्र मैथानी, जे (मौखिक)

इस पुनरीक्षण में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय–1, रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर द्वारा प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या 214 सन् 2021 , कु0 रश्मीत कौर बनाम जितेन्द्र पाल सिंह में पारित आदेश दिनांक 26.05.2022 को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता संख्या–2 (निजी प्रत्यर्थी, जो कि पुनरीक्षणकर्ता की अवयस्क पुत्री है) द्वारा प्रस्तुतं अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुनरीक्षणकर्ता को 20,000/–रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण राशि अदा करने का आदेश पारित किया गया था।

2. इस मामले का एक इतिहास है। प्रारंभ में, वर्ष 2012 में, निजी प्रत्यर्थी की माँ द्वारा, अपने लिए और निजी प्रत्यर्थी के लिए, पुनरीक्षणकर्ता से भरण-पोषण प्राप्ति हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जो

परिवार वाद संख्या 88 सन् 2012 , श्रीमती सरनजीत कौर और अन्य बनाम जितेंद्र पाल सिंह के नाम से पंजीकृत हुआ । यह वाद दिनांक 20.09.2014 को निर्णीत किया गया तथा पुनरीक्षणकर्ता को निज प्रत्यर्थी व उसकी माता को 8,000 / – प्रतिमाह भुगतान करने के निर्देश दिये गये ।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच, निजी प्रत्यर्थी की माँ, जो पुनरीक्षणकर्ता की पत्नी थी, ने पुनरीक्षणकर्ता और अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें जाँच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और संज्ञान लिया गया । उन कार्यवाहियों को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 387 सन् 2015 . नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम राज्य और अन्य ("याचिका") में चुनौती दी गयी । पक्षकारो ने याचिका में दिनांक 09.05.2015 को समझौता किया, जो निम्नवत् है :–

> "पक्षकार उपस्थित हैं सुश्री शरणजीत कौर अपने पिता श्री बलदेव सिंह के साथ उपस्थित हैं, श्री जितेंद्र पाल सिंह अपने विद्वान अधिवक्ता श्री जे.एस. विर्क के साथ उपस्थित है । पक्षकारो द्वारा अपने सभी विवादों को निपटाने पर सहमति व्यक्त की है जो उनके बीच उत्पन्न हुए हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार पक्षकारों ने निम्नलिखित शर्तों पर सहमति व्यक्त की है।

(1) नाबालिग बच्ची रश्मीत कौर की अभिरक्षा मां के पास तब तक रहेगी जब तक वह बालिग नहीं हो जाती।

(2) जितेंद्रपाल सिंह को सुश्री शरजीत कौर को भरण-पोषण भत्ता के लिए पूर्ण और अंतिम समझझौता राशि के रूप में 21,50,000/- (इक्कीस लाख पचास हजार मात्र) देने पर सहमति हुई, जिसके लिए वह भी सहमत हो गई हैं।वह जितेंद्रपाल सिंह से भरण पोषण और संपत्ति आदि के लिए आगे कुछ भी दावा नहीं करेगी।

(3)सुश्री शरजीत कौर ने अपने पति, ससुर, सास और मामा एस 0 सिंह 0 के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। मामले का विवरण आपराधिक वाद संख्या 163/12 है, जिसका शीर्षक शरजीत कौर बनाम जितेंद्रपाल सिंह अन्य, अन्तग्रत धारा 498 ए, 323, 504, 506 भा0द0सं0 है। पारिवारिक न्यायालय, खटीमा में लंबित वाद संख्या 88/12 अन्तर्गत धारा 125 द0पप्र0सं0 उसके द्वारा वापस ले लिया जाएगा । वह पारिवारिक न्यायालय खटीमा में योजित निष्पादन की कार्यवाही को वापस लेने पर भी सहमत हो गई है । वह न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा के न्यायालय में लम्बित घरेलू हिंसा के वाद सख्या 303 / 2012 को वापस लेने पर भी सहमत हो गई है।

(4) जितेन्द्रपाल सिंह ने सुश्री शरजीत व उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व योजित उन सभी मामलो को वापस लेने पर अपनी सहमति दी । वह परिवारिक न्यायालय खटीमा में लम्बित में धारा 340 दण्ड प्रक्रिया सांहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत अपने आवेदन को वापस ले लेंगे।

(5) उपरोक्त के प्रकाश में उभय पक्षकारो ने यह तय किया है कि माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 384 सन् 2015 को भी निरस्त करायेगें ।

(6) पक्षकारो ने सहमति व्यक्त की है कि वे अब पारिवारिक न्यायालय खटीमा में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद (धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम) का वाद दायर करेंगे और इस पर भी सहमति व्यक्त की है कि समझौते की राशि रू0 21,50,000/- आपसी तलाक के लिए उसे दी जाएगी।

(7) पारिवारिक न्यायालय द्वारा एक बार आपसी तलाक मंजूर कर लेने के बाद पक्षकार एक-दूसरे के खिलाफ सभी मामले वापस ले लेंगे।

(8) पक्षकारो ने समझौते की शर्तें को तय किया और समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हुए ।

(9) समझौता बिना किसी डर, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती आदि के किया गया है।

(10) पक्षकार दो माह के भीतर आपसी तलाक के लिए न्यायालय में जायेगें और उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ योजित सभी मामलों को वापस लेगें ।

एसडी/
09.05.2015”

4. वास्तव में, इससे पहले, निजी प्रत्यर्थी और उसकी मां ने भरण-पोषण के बकाया की वसूली के लिए एक आवेदन दायर किया था, जो उन्हें मामले में पारित आदेश दिनांक 20.09.2014 द्वारा प्रदान किया गया था। उक्त आवेदन प्रकीर्ण आपराधिक वाद संख्या 362 सन् 2014 श्रीमती शरजीत कौर और अन्य बनाम जितेंद्र पाल सिंह , परिवार न्यायालय, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर ("वसूली वाद") के न्यायालय में पंजीकृत किया गया था। पक्षकारो के मध्य याचिका में दिनांक 09.05.2015 को हुए समझौते के अनुसार निजी प्रत्यर्थी की मां ने वसूली के मामले पर बल नहीं दिया। दिनांक 28.1.2016 को, वसूली मामले में न्यायालय ने देखा कि चूंकि आवेदक मामले पर बल नहीं देना चाहता है, इस आधार पर धारा 125 दण्ड प्रक्रिया सांहिता के अन्तर्गत आवेदन तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

5. तत्पश्चात् पुन: दिनांक 18.10.2021 को निजी प्रत्यर्थी ने अपनी माता के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता से भरण-पोषण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जो कि वाद संख्या 214 सन् 2021 कु0 रश्मीत कौर बनाम जितेंद्र पाल सिंह परिवार न्यायालय I, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर ("दूसरा मामला") योजित किया गया । दूसरे मामले में, निजी प्रत्यर्थी ने भी अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे आलोच्य आदेश दिनांक 26.5.2022 द्वारा स्वीकार किया गया ।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि याचिका में पक्षकारों ने पहले ही समझौता कर लिया है। यह तर्क दिया कि निजी प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व तब उसकी माता ने किया था। निजी प्रत्यर्थी की अभिरक्षा उसकी माता को दी गई थी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षणकर्ता ने निजी

प्रत्यर्थी की माता को 21,50,000/- रूपये देने के लिए सहमति दी थी । यह तर्क दिया कि, वास्तव में 21,50,000/-, रूपये की राशि ,जो निजी प्रत्यर्थी की माता को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा भुगतान किया गया था, जिसमें निजी प्रत्यर्थी का खर्चा/भरण पोषण शामिल था ।

8. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया कि यदि ऐसा नहीं होता, तो निजी प्रत्यर्थी की माता ने वसूली के मामले को केवल उसके आधार पर वापस ले लिया होता न कि निजी प्रत्यर्थी के रूप में । विद्वान अधिवक्ता ने निम्न बिन्दु भी उठाए:-

(i) याचिका में समझौता होने के बाद दोनों पक्ष आगे बढ गए। पुनरीक्षणकर्ता विवाहित है। निजी प्रत्यर्थी की माता ने भी शादी कर ली है।

(ii) निजी प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व अब उसकी मां कर रही है। वर्ष 2010 में उनकी माता द्वारा मामले में उनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। दिनांक 09.05.2015 को याचिका में पक्षकारों के बीच हुए समझौते में, निजी प्रत्यर्थी की अभिरक्षा उसकी मां को दे दी गई थी। निजी प्रत्यर्थी की मां को 21,50,000/- रुपये दिए गए थे। लेकिन भरण-पोषण के आवेदन में , जो कि निजी प्रत्यर्थी द्वारा उसकी मां के माध्यम से दायर किया गया है, यह उल्लेख नहीं किया गया है कि धन का उपयोग कहां किया गया ?

9. उपरोक्त के मध्येनजर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि भरण-पोषण के लिए दूसरा आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

10. दूसरी ओर, निजी प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत कि दिनांक 9.5.2015 को समझौता, याचिका में पक्षों के मध्ये जो समझौता किया गया था, निजी प्रत्यर्थी के लिए नहीं था। यह तर्क दिया कि समझौते के पैरा 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुव0 21,50,000/ रूपये निजी प्रत्यर्थी की मां को भरण पोषण के रूप में पूर्ण और अंतिम निपटारा राशि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिए जाने पर सहमति हुई थी न कि निजी प्रत्यर्थी को।

11. निजी प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गणेश बनाम सुधीर कुमार श्रीवास्तव और अन्य, 2020 (20) एससीसी 787, विक्रमन नायर और अन्य बनाम ऐश्वर्या और अन्य , 2008, SCC OnLine Ker 3492 एवं फतेह सहारन बनाम रोहित सहारन, 2022 SCC Online Del 205 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त पर विश्वास मत व्यक्त किया ।

12. गणेश (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अवलोकन किया:-

"7, अलग होने से पहले, पैरा 6 का संबंध है, हमें अपनी संवेदना को भी व्यक्त करना चाहिए, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, औरंगाबाद द्वारा दिनांक 8-11-2017 को आदेश में शामिल किया गया था। जहाँ तक भरण-पोषण या स्थायी गुजारा भत्ता या स्त्रीधन का संबंध है, पत्नी को निश्चित रूप से किसी भी दावे को छोड़ने का विकल्प था, लेकिन वह उन अधिकारों को नहीं छोड़ सकती थी, जो भरण-पोषण और अन्य मुद्दों के संबंध में बेटी को निहित हैं।"

13. विधि व्यवस्था विक्रमन नायर के पैरा 24 में में माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा निम्न सिद्वान्त प्रतिपादित किया है–

24. जब पत्नी और पति द्वारा न्यायालय में या अन्यथा दायर समझौते के भाग के रूप में एक समझौता किया जाता है,जिसमें पत्नी अपने या नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य में पति से भरण- पोषण का दावा करने का अधिकार त्याग देती है या छोड़ देती है, ऐसा समझौता सार्वजनिक नीति के विरूद्व है और यह उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण-पोषण का दावा करने से नहीं रोकता है। यह विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया सुसंगत दृष्टिकोण है। यह माना गया है कि एक सार्वजनिक नीति के तहत किसी व्यक्ति को दिए

गए वैधानिक अधिकार को उक्त व्यक्ति द्वारा एक समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह भी स्थापित है कि कोई भी अनुबंध जो सार्वजनिक नीति का विरोध करता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अन्तर्गत शून्य है और उसे न्यायलय में लागू नहीं किया जा सकता है। यदि किसी समझौते का उद्देश्य या विचार किसी कानून के प्रावधानों को पराजित करता है, और यदि यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, तो समझौते को अवैध और शून्य माना जाएगा।" (अवलोकित रंजीत कौर बनाम पवित्तर ,1992 क्रिमि0लॉ जर्नल, 262, हनामन्त बासाप्पा चौधरी बनाम लक्ष्मावा, 2002, किमि0 लॉ जर्नल, 4397, राजेश कोचर बनाम रीता कुमारी, 2002, किमि0 लॉ जर्नल 3357, सुशील कुमार बनाम नीलम, 2004 क्रिमि0 लॉ जर्नल 3690, महेश चन्द्र द्विवेदी बनाम मनोरमा, 2009 क्रिमि0 लॉ जर्नल 138 एवं वर्षाबेन हिमेन्तलाल वेजानी बनाम गजराज राज्य 2017 क्रिमि0 लॉ जर्नल 869)

14. फतेह सहारन के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैरा 2 में का अवलोकन किया है :–

> "2. हम देख सकते हैं कि जब प्रत्युत्तरदाता के पति या पत्नी, यानी अपीलकर्ता की मां ने आपसी सहमति से तलाक लिया, तो अपीलकर्ता नाबालिग बच्चे के संबंध में भरण पोषण 5,000/- रुपये प्रति माह की दर से निर्धारित किया गया था । बिना कहे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता एक नाबालिग है, उस समझौते से बाध्य नहीं है, और वह विपक्षी यानी अपने पिता से अपने पालन-पोषण के लिए भरण पोषण का दावा करने का हकदार है।"

15. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रस्तुत विधि में कोई विवाद नहीं है। माता किसी भी समझौते के माध्यम से अपने नाबालिग बच्चे के अधिकारों का त्याग नही कर सकती है । लेकिन, मौजूदा प्रकरण में यह तर्क दिया जा रहा है कि निजी प्रत्यर्थी की माता ने वास्तव में अपने और बच्चे के लिए पूरे भरण-पोषण प्राप्त किया है। यह तर्क दिया है कि यह अधिकार के त्याग का मामला नहीं है। वास्तव में, यह बच्चे की ओर से भी सभी देय राशियों की स्वीकृति है।

16. एक बहुत छोटे प्रश्न की व्याख्या की आवश्यकता है जो याचिका दिनांक 9.5.2015 में पक्षकारो के बीच किए गए समझौते की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमती है। माना कि इस मामले में निजी प्रत्यर्थी और उसकी मां को दिनांक 20.09.2014 को भरण पोषण भत्ता दिया गया था। निजी प्रत्यर्थी को 5,000/- रुपये प्रतिमाह भरण पोषण का भुगतान किया जाना था। जब बकाया का भुगतान नहीं किया गया, तो निजी प्रत्यर्थी की मां ने भरण-पोषण के बकाया की वसूली के लिए एक आवेदन दिया, जो कि वसूली के मामले का आधार है।

17. पुनरीक्षणकर्ता और निजी प्रत्यर्थी की मां ने याचिका में समझौता किया। यह पहले से ही विस्तृत रूप से उद्धृत किया गया है। पैरा संख्या संख्या 1 और 2 पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। समझौते के पैरा संख्या–1 में मां के साथ बच्चे की अभिरक्षा का प्रावधान है। समझौता का पैरा संख्या– 2 महत्वपूर्ण है। यह कहा जा सकता है कि इसके अनुसार, पुनरीक्षणकर्ता ने श्रीमती शरजीत कौर निजी निजी प्रत्यर्थी की माता को 21.50.000/–रुपये पूर्ण और अंतिम समझौता राशि के रूप में देने के लिए सहमति दी थी , जिसके लिए वह भी सहमत थी ।

18. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ("साक्ष्य अधिनियम") की धारा 91, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान करती है कि किसी भी अनुबंध की अवधि, आदि को दस्तावेज़ के उत्पादन द्वारा या अनुमेय होने पर द्वितीयक साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 में दस्तावेज होने पर मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के संबंध में प्रावधान किया गया है।

19. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 इस प्रकार हैं:

धारा 91 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य

जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों तब, तथा उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिनपूर्व अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा।

अपवाद 1 — जबकि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो और जब यह दर्शित किया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे ऑफिसर के नाते कार्य किया है तब उस लेख का, जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।

अपवाद 2 — जिन विलों का भारत में प्रोबेट मिला है, वे प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेंगी।

"92. मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, -

जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य ब्ययन के निबन्धनों को, या किसी बात को, जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अंतिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका हो, तब किसी ऐसी लिखत के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबन्धनों का खण्डन करने के या उनमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण न किया जाएगा:

.....

.....

20. तत्काल याचिका में निजी प्रत्यर्थी की मां को गुजारा भत्ता देने पर सहमति बनी थी। यह निजी प्रत्यर्थी के लिए किसी भरण पोषण की बात नहीं करता है, हालांकि यह बच्चे की अभिरक्षा के लिए प्रावधान करता है।

21. दिनांक 09.04.2015 के अनुबंध को पक्षकारो की मंशा का हवाला देकर नहीं पढ़ा जा सकता है। उसमें जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है और उसमें भरण पोषण के संबंध में जो लिखा है वह पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। पुनरीक्षणकर्ता सहमत हो गया था कि वह निजी प्रत्यर्थी की मां को भरण-पोषण देगा । यह निजी प्रत्यर्थी की माता के संबंध में विनिर्दिष्ट है । यह निजी प्रत्यर्थी के संबंध में नहीं है ।

22. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि यदि दिनांक 09.05.2015 का समझौता केवल निजी प्रत्यर्थी की मां की ओर से प्रस्तुत किया गया तो वह वसूली के मामले को पूर्ण रूप से वापस नहीं लेती। यह तर्क दिया गया है कि ऐसी स्थिति में, उसने अकेले ही वसूली का मामला वापस ले लिया होगा। वास्तविकता यह है कि निजी प्रत्यर्थी की मां द्वारा दावे पर बल नहीं दिया गया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि, वास्तव में, निजी प्रत्यर्थी का दावा भी उसकी मां द्वारा तय किया गया था।

23. यद्यपि वसूली प्रकरण में दिनांक 20.01.2016 को अभिलेखों में पारित आदेश से दर्शित है कि निजी प्रत्यर्थी की माता का प्रार्थना पत्र पर बल देने का इरादा नहीं है, तद्नुसार प्रार्थना पत्र संहिता की धारा 125 के तहत खारिज किया जाता है। यह अवलोकन तथ्यात्मक और विधि विरूद्व है क्योंकि निजी प्रत्यर्थी की मां ने भरण-पोषण के बकाया के लिए आवेदन पर बल नहीं दिया था। इसके आधार पर धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसे पहले ही दिनांक 20.09.2014 के आदेश द्वारा स्वीकृत किया गया था ।

24ण उपरोक्त कथनो को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मत है कि, वास्तव में, पुनरीक्षणकर्ता और उसकी पत्नी जो निजी प्रत्यर्थी की माता है के बीच हुए समझौते के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि निजी प्रत्यर्थी के दावे को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उसकी मां के साथ पहले ही तय किया गया था।

25. निजी प्रत्यर्थी की मां ने अपना दावा तय किया था। वह मामले में दिनांक 20.09.2014 को पारित आदेश के अनुसार भरण पोषण का दावा आगे नहीं बढा सकती थी, लेकिन उस आदेश द्वारा निजी प्रत्यर्थी को प्रतिमाह 5,000/–रूपये भरण पोषण दिया गया था, निजी प्रत्यर्थी को उस राशि की वसूली से वंचित नहीं किया जा सकता है । वास्तव में, मामले में दिनांक 20.09.2014 को पारित आदेश जहां तक निजीप्रत्यथी से संबंधित है, अभी भी अस्तित्व में है। इसलिए, दूसरा भरण पोघण आवेदन पोषणीय नहीं था और उस आधार पर, आलोच्य आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

26. उपरोक्त कारण से दिनांक 26.05.2022 के आलोच्य आदेश को अपास्त किया जाता है।

27. तदनुसार पुनरीक्षण का निस्तारण किया जाता है।

(रवीन्द्र मैठानी, जे.)

04.08.2022